



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1099]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 6, 2016/वैशाख 16, 1938

No. 1099]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 6, 2016/VAISAKHA 16, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

(कोफेपोसा यूनिट)

आदेश

नई दिल्ली, 5 मई, 2016

का.आ. 1662(अ).—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उपधारा के तहत दिनांक 14.8.2015 को फाइल संख्या 673/23/2015-कस्टम्स-VIII के तहत जारी आदेश में यह निदेश दिया गया था कि श्री सैयद जैनुल हसन, सुपुत्र श्री सैयद सकावथ हुसैन, 004, चारु जैसमिन, #3 लियोनार्ड जेन, रिचमंड टाऊन, बेंगलुरु को पकड़ा जाए और परापना अग्रहारा केन्द्रीय कारागार, हौसुर रोड बेंगलुरु में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि भविष्य में माल तस्करी करने से उन्हें रोका जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश तामील न किया जा सके।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा, पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से सात दिन के अंदर वह पुलिस महानिदेशक, कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु के सामने उपस्थित हो।

[फा. सं. 673/23/2015-कस्टम्स-VIII]

पी. वी. सुब्बा राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(Central Economic Intelligence Bureau)
(COFEPOSA UNIT)

ORDER

New Delhi, the 5th May, 2016

S.O. 1662(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F.No.673/23/2015-Cus.-VIII, dated 14.08.2015 under the said sub-section directing that Shri Syed Zainul Hasan, S/o Shri Syed Saqawath Hussain, 004, Charu Jasmine, #3, Leonard Lane, Richmond Town, Bangalore, be detained and kept in custody in Parappana Agrahara Central Jail, Hosur Road, Bangalore with a view to preventing him from smuggling the goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Government of Karnataka, Bangalore within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/23/2015-Cus.VIII]

P. V. SUBBA RAO, Jt. Secy.